राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक एफ.वी(1)/प.पा.नि/प्र/बजट घोषणा/ILD/2015–16/2968–69 दिनांक :– 13-11-2017

1. निदेशक
   पशुपालन विभाग, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड,जयपुर।

विषयः–653 नवीन एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र (ILDC) खोलने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि बजट घोषणा वर्ष 2014–15 के बिन्दु संख्या 110 एवं बजट घोषणा वर्ष 2017–18 के बिन्दु संख्या 116 की अनुपालना में वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रदेश में 653 नवीन एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र (ILDC) खोलने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन जारी की जाती है।

शर्तें :–

1. बजट घोषणा 2017–18 के बिन्दु संख्या 116 अनुसार प्रदेश में 4160 ग्राम पंचायतो में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने हैं, उनमें से 1000 + 653 = 1653 स्थानों पर आई. एल.डी. केन्द्र स्थापित हो जायेगें। अतः शेष 2507 स्थानो पर ही पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जावें, जिनमें से वर्ष 2017–18 में 1500 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने की सहमति दी जा चुकी है। अतः शेष 1007 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र ही वर्ष 2018–19 में खोले जाने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जावेगी।
2. पशुपालन विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ.वी( )/प.पा.नि/प्रजनन/बजट घोषणा/ILD/2014/3274–85 दिनांक 23.12.2015 से जिन शर्तो पर 1000 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र (ILDC) खोलने की सहमति दी गई थी, उन्ही शर्तों पर उक्त नये 653 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र खोलने हेतु आवश्यक कार्यवाही विभाग द्वारा की जावेगी।
3. विभाग द्वारा इन प्रस्तावित 653 आई.एल.डी. केन्द्र खोले जाने के बाद, भविष्य में अब और कोई आई. एल.डी. केन्द्र नहीं खोले जायेंगे, क्योंकि प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में पशुपालन विभाग की ईकाई स्थापित हो जायेगी।
4. प्रस्तावित 653 आई.एल.डी. केन्द्रों हेतु कार्यकारी एजेंसी जे.के.ट्रस्ट को कोई अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार होने वाले व्यय हेतु राशि के प्रावधान के लिए विभाग द्वारा प्रस्ताव आगामी वर्षो में किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 101705100 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

(रामजी लाल मीना)
शासन उप सचिव

क्रमांक एफ.वी(1)/प.पा.नि/प्र/बजट घोषणा/ILD/2015–16/2970–78 दिनांक :– 13-11-2017

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
4. शासन उप सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जे.के.ट्रस्ट, न्यू हिन्द हाउस, नरोत्तम मोरारजी मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुम्बई(महाराष्ट्र)।
7. वित्तीय सलाहाकार, निदेशालय पशुपालन, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, योजना निदेशालय पशुपालन, जयपुर।
9. स्टेट प्रोजेक्ट मेनेजर, जे.के.ट्रस्ट, 41 सीतानगर –2, हीरापुरा, जयपुर।

शासन उप सचिव